"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 2009—आषाढ़ 19, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मोतीलाल आत्मज स्व. रेवाराम साहू, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम-बुड़ेना, तहसील-गुण्डरदेही, जिला -दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम के साथ अपने उपनाम साहू को जोड़कर अपना नाम मोतीलाल साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मोतीलाल साहू आत्मज स्व. रेवाराम साहू के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
मोतीलाल	मोतीलाल साहू
आत्मज-स्व. रेवाराम साहू	आत्मज-स्व. रेवाराम साहू
निवासी-ग्राम-बुड़ेना	निवासी-ग्राम-बुड़ेना
तहसील-गुण्डरदेही	तहसील-गुण्डरदेही
जिला-दुर्ग (छ. ग.)	जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संतोष कुमार आत्मज स्व. एस. वायुदेमडु, उम्र 30 वर्ष, निवासी रेल्वे कालोनी, क्वा नं. 361/डी, जोन 2, बी. एम. वाय. चरोदा, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम के पहले अपना उपनाम "एस." जोड़कर अपना नाम एस. संतोष कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे एस. संतोष कुमार आत्मज स्व. एस. वायुदेमडु के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
संतोष कुमार	एस. संतोष कुमार
आत्मज-स्व. एस. वायुदेमडु	आत्मज-स्व. एस. वायुदेमडु
निवासी-रेल्वे कालोनी, क्वा. नं. 361/डी	निवासी-रेल्वे कालोनी, क्वा. नं. 361/डी
जोन 2, बी. एम. वाय., चरोदा	जोन 2, बी. एम. वाय., चरोदा
जिला-दुर्ग (छ. ग.)	जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/संपंदु./परिसमापन/2009/694.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /संपंतु./परिसमापन/2002/557 दुर्ग दिनांक 11-4-2002 के तहत जय भीम प्राथमिक सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., न्यू बालाजी नगर जोन-2, खुर्सीपार, पं. क्र.-2647 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/संपंदु./परिसमापन/2009/695.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /संपंदु./परिसमापन/2002/558 दुर्ग दिनांक 11-4-2002 के तहत जय गुरुदेव जनरल आर्डर सप्लायर्स सह. समि. दुर्ग, पं. क्र. 2703 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदंन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99- पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/संपंदु./परिसमापन/2009/696.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /संपंदु./परिसमापन/2001/1346 दुर्ग दिनांक 22-8-2001 के तहत जन जागृति खदान श्रमिक सह. समि. पद्मनाभपुर, दुर्ग, पं. क्र. 2566 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99- पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/संपंदु./परिसमापन/2009/697.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /संपंदु./परिसमापन/86/2040 दुर्ग दिनांक 12-8-1986 के तहत ग्रामवासी उद्वहन सिंचाई सह. समि. मर्या., दमोदा, पं. क्र. 2083 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99- पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/संपंदु./परिसमापन/2009/698.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /संपंदु./परिसमापन/96/738 दुर्ग दिनांक 27-4-1996 के तहत इलाहाबाद बैंक कर्मचारी सह. साख. समि. म., दुर्ग, पं. क्र. 2102 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99- पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी सस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/संपंदु./परिसमापन/2009/699.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /उपंदु./परिसमापन/86/1001 दुर्ग दिनांक 31-3-1986 के तहत छ. ग. मुद्रणालय एवं प्रकाशन सह. समि. मर्या., दुर्ग, पं. क्र. 2092 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99- पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/संपंदु./परिसमापन/2009/700.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /संपंदु./परिसमापन/86/1001 दुर्ग दिनांक 31-3-1986 के तहत वाटर सप्लाई कर्मचारी साख सह. समि. मर्या., भिलाई, पं. क्र. 1876 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छत्तीसगढ़. सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 27 जून 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/संपंदु./परिसमापन/2009/732.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /संपंदु./परिसमापन/86/2040 दुर्ग दिनांक 12-8-1986 के तहत कुम्हारी ईंट खपरा सह. समि. म., डिपरापारा दुर्ग, पं. क्र. 1794 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 27 जून 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/संपंदु./परिसमापन/2009/733.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /संपंदु./परिसमापन/2001/1340 दुर्ग दिनांक 02-8-2001 के तहत लोहारी बर्तन उद्योग सह. समि. म., खुर्सीडीह, दुर्ग, पं. क्र. 2312 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 27 जून 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/संपंदु./परिसमापन/2009/734.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /संपंदु./परिसमापन/04/476 दुर्ग दिनांक 22-3-2004 के तहत आलोक ईंट खपरा सह. समि. मर्या., पोटियाकला दुर्ग, पं. क्र. 2454 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 27 जून 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/संपंदु./परिसमापन/2009/735.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /संपंदु./परिसमापन/2001/1336 दुर्ग दिनांक 02-8-2001 के तहत मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., डांडेसरा, पं. क्र. 2365 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

उमेश तिवारी,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.